

म न्यायालय

फर्द अहकाम
- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर


प्रार्थी/व्यथित पक्षकार
सत्यनारायण

बनाम

अप्रार्थीगण
बाबूलाल व अन्य वगैरहा

करण संख्या- 2 /23

प्रार्थना पत्र माता-पिता भरण-पोषण
एवं वरिष्ठ नागरिक सेवा अधिनियम, 2007

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.03.2023	<p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा विरुद्ध अप्रार्थीगण अर्न्तगन्त धारा प्रार्थना पत्र माता-पिता भरण-पोषण पेश किया गया। प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री दामोदर निवासी कानोता, तहसील बस्सी पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर से प्रार्थना पत्र अपने पुत्र बाबूलाल पिता श्री सत्यनारायण निवासी कानोता, तहसील बस्सी पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर के विरुद्ध नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माता-पिता भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक सेवा अधिनियम, 2007 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/04/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बस्सी</p>	

11/4/23


पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/अन्य
वर्ग में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
20/4/23 को पेश की।

आज्ञा
पत्राही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

18/7/23 पत्रावली पेशा कर्ष। P.O. का ~~कार्य~~
कार्य में खरसत करने के कारण कार्य
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
18/8/23 को पेश ~~हो~~


18/8/23 पत्रावली पेशा कर्ष। पत्रावली इप।
पूर्व दिनांक 18/8/23
को पेश की 
उपसूचक अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

18/8/23 पत्रावली पेश। प्राची एवं
प्राची अधिकार अनुपस्थित।
बार-बार आवज लगाई गई,
बावजूद धारित अदालत नहीं।
इससे यह स्पष्ट है कि इस
प्रा.पश. मान्य-पिता अथवा पोषण
एवं वरिष्ठ नागरिक सेवा Act
2007 को प्राची एवं प्राची
अधिकार अनुपस्थित नहीं कला
चाहते हैं।

अतः इस प्रा.पश.

अदम्य धरती-अदम्य पैकी में

रखित किया जाता है ~~पत्रावली कर्ष~~
नाम से कम धर्म दाखिल करवा दी


उपसूचक अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर